

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एल 1-10/2016/ब-7/डी.एम.सी/चार  
प्रति, वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक एल-1-10/2016/ब-7/  
राज्याधिकारी  
संघ-आयुक्त  
कोष एवं लेखा  
पर्यावास भवन  
म.प्र. भोपाल  
फैक्स - 0755-2676030

भोपाल, दिनांक 26/03/2016


विषय :- के, पी.डी. डिपाजिट मद में जमा राशियों को व्यय करने हेतु प्रतिबंध से छूट।  
संदर्भ :- 1. म.प्र.शासन, वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक एल-1-10/2016/ब-7/  
डी.एम.सी/चार दिनांक 10.03.2016  
2. एल-1-10/2016/ब-7/डी.एम.सी/चार दिनांक 26.03.2016.

वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिबंध के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि "के",  
पी.डी., सी.सी.डी., ए.एफ.एवं लोक लेखा की अन्य डिपाजिट मद के राशि आहरण हेतु  
प्रतिबंध लागू नहीं है।

इस हेतु कोषालय में देयक प्रस्तुत करने एवं आहरण किये जाने हेतु वित्त  
विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

मध्य प्रदेश के राज्य पाल के नाम से


तथा आदेशानुसार

  
(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी)

संचालक बजट  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक एल 1-10/2016/ब-7/डी.एम.सी/चार भोपाल, दिनांक 26/03/2016  
प्रतिलिपि:-

1. शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागायुक्त/जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचाल, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
4. वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

  
संचालक बजट  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग